

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क० R / 16 निगरानी

विमला पत्नी राजजित जाति जाट निवासी
ग्राम सिलपुरी तह० करहाल जिला श्यापुर
म०प्र० आवेदक

बनाम

1- सोनवीर सिंह पुत्र बदनसिंह जाति जाट
निवासी ग्राम पतवाडा तह० करहाल जिला
श्यापुर म०प्र०

2- मध्यप्रदेश शासन

अनावेदक

श्रीमान राजस्व अधिकारी
दस अक्षर दि 18/4/16
प्रस्तुत

18-4-16
जिला अफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आदेश विरुद्ध आदेश दिनांक 22/03/2016

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय करहाल

जिला श्यापुर के प्र०क० 5/15-16 अपील/निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

- 1- यह कि ग्राम सिलपुरी तह० करहाल जिला श्यापुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क० 884/11 रकवा 2.90 है०, सर्वे क० 884/18 रकवा 1.045 है० का आवेदक तहसील करहाल के प्र०क० 50/12-13 अ/6 में पारित आदेश दिनांक 20/05/2013 द्वारा आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया।
- 2- यह कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार महोदय करहाल के आदेश के विरुद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय करहाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र०क० 05/15-16 अपील पर पंजीबद्ध की गई।
- 3- यह कि आवेदक द्वारा धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का जबाब प्रस्तुत किया तथा अपील की प्रचलनता के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की तथा यह प्रार्थना की कि धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का सर्वप्रथम निराकरण किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/03/2016 द्वारा धारा 5 अवधि विधान के साथ अपील के गुण दोषों पर भी बहस श्रवण

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.1221-एक/2016

जिला श्योपुर

विमला विरुद्ध सोनवीर अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२-०८-१९	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कराहल जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ०५/२०१५-१६/अपील/निगरानी में पारित आदेश दिनांक २२.०३.२०१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म० प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ में दिनांक २७-०७-२०१८ को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक २५-०९-१८ के फलस्वरूप संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४ (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>२- पक्षकार दिनांक १५-१०-१९ को कलेक्टर, जिला श्योपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

(जे० के० जैन)

सदस्य